अध्याय – 13

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत् विकास

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत् विकास

परिचय

– सभी बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझोतों के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार का एक केन्द्रीय मंत्रालय है। इनमें वियना ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वियना सम्मेलन, ओजोन परत को कम करने वाले पदार्थों पर मांट्रीयल प्रोटोकाल, जीव–विज्ञान विविधता पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर सयुंक्त राष्ट्रसंघ ढांचा सम्मेलन, मरूस्थलिय को नियंत्रित करने के लिए यू एन सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकाल, खतरनाक पदार्थो के सीमा पार से आने पर बेसल सम्मेलन, निरंतर आर्गेनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन, रोटर्डम सम्मेलन, रामसर सम्मेलन, इत्यादि शामिल हैं।

– अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सहयोग और निरंतर विकास के सभी मुद्दों पर समन्वयन के लिए मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और निरंतर विकास प्रभाग नोडल प्वाइंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी), यू एन डी पी, विश्व बैंक, यू एन आई डी ओ, निरंतर विकास के लिए यू एन आयोग (सी एस डी) विश्व पर्यावरण सुविधा (जी ई एफ) तथा क्षेत्रीय निकाय जैसे कि एशिया और पैसिफिक के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एस ए सी ई पी), ए0 डी बी और यूरोपियन यूनियन (ई0 यू0) के लिए यह केन्द्रीय प्रभाग है। यह प्रभाग पर्यावरण संरक्षण और निरंतर विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय देश–से–देश को सहयोग के मामलों को भी देखता है।

शुरू किए गए कार्यकलापों की प्रगति

सतत् विकास पर आयोग (सीएसडी)

– पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू एन सी ई डी) ब्राजील में वर्ष 1992 में हुआ जिसने कार्यसूची 21 अपनाई, जोकि निरंतर विकास प्राप्त करने के लिए विश्व कार्य योजना का खाका है। कार्य सूची 21 के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के प्रयोजनार्थ यू. एन. इकोसोक के अन्तर्गत वर्ष 1993 में निरंतर विकास पर आयोग का गठन किया गया था। सीएसडी के मामलों को निपटाने के लिए विदेश मंत्रालय केन्द्रीय मंत्रालय है। तथापि, यह मंत्रालय कार्यसूची – 21 के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की भूमिका अदा करती है।

– सतत विकास संबंधी आयोग का पन्द्रहवां सत्र न्यूयार्क में 30 अप्रैल से 11 मई, 2007 तक हुआ था जिससे सतत् विकास हेतु ऊर्जा के थीमैटिक क्षेत्रों के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, और औद्योगिक विकास पर विचार किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री नमोनारायण मीना, माननीय राज्य मंत्री ने किया। 15वें सीएसडी की कार्रवाई http://www.org/esa/sustdev/csd/cs/d15/csd15htm पर उपलब्ध है।

– सीएसडी का 16वां सत्र मई, 2008 तक न्यूयार्क में आयोजित होगा। यह सत्र थीमैटिक मामलों अर्थात् कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि, सूखा, मरुस्थलीकरण और अफ्रीका आदि पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

यूनाइटेड नेशन्स एन्वायरनमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी)

– रियो पृथ्वी सम्मेलन के बाद वर्ष 1972 में स्थापित यूनाईटेड नेशन्स एन्वारनमेंट प्रोग्राम विकासशील देशों की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता विकसित करने में सहायता करने, सतत् विकास हेतु सहभागिता और ज्ञान वर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए यूएनप्रणाली में एक प्रघान संस्था है। पर्यावरणीय रूझानों, विशेषकर पूर्व चेतावनी प्रणालियों तक विस्तारित है, के आधार पर पर्यावरणीय संकटों और आपात स्थितियों से लेकर पर्यावरणीय विज्ञान और सूचना प्रक्रिया से संबंधित मामलों की डील करने के लिए यह नैराबी, केन्या, यूएनईबी की गतिविधियों पर आधारित है।

– यूएनईपी की गवर्निंग कौंसिल/ग्लोबल मिनिस्ट्रियल एनवायरनमैंटल फोरम 10वां विशेष सत्र 20–22 फरवरी, 2008 में मोनाको में आयोजित हुआ। इस सत्र में 'ग्लोबलाइजेशन और पर्यावरण' मोबिलाइजिंग

फाइनेंस टू मीट चेंलेंजेस एंड डेवलपिंग यूएनईपी मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी जैसे मामलों पर ध्यान केन्द्रित किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय पर्यावरण राज्य मंत्री ने किया।

– ग्लाबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (जीईएफ) एक स्वतंत्र वित्ती तंत्र के रुप में 1991 में स्थापित ग्लोबल एनवायरनमैंट फैसिलिटी विकासशील देशों को और ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं को उन परियोजनाओं के लिए अनुदान देती है जिससे वैश्विक पर्यावरण के को लाभ मिलता है तथा सतत् आजीविका को बढ़ावा मिलता है। भारत जीईएफ का एक फाउंडर सदस्य है। भारत जीईएफ फंड्स का डोनर और प्राप्तकर्ता है। भारत जीईएफ कौंसिल में दक्षिण एशिया कंस्टीट्यूएंसी (बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका) का प्रतिनिधित्व करता है। (www.gefweb.org)

– जीईएफ परियोजनाओं में 6 फोकल क्षेत्रों को एड्रेस किया जाता हैद्ध ये हैं–जैविविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि अवक्रमण, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री जल, ओजोन परत ह्रास और पर्सिसटेंट आर्गेनिक पौल्यूटैंट्स और दो क्रास कटिंग के मामलों अर्थात् सतत वन प्रबंधन और बेहतर रासायनिक प्रबंधन।

– चूंकि जीईएफ केवल इंक्रीमेंटल लागतों को ही वित्त पोषित करता है, अतः परियोजनाओं के लिए अनिवार्य रुप से कोफंडिंग की आवश्यकता होती है। प्रत्येक फोकल एरिया के जीईएफ को कोफाइनेंसिंग अनुपात के लिए अपना एक लक्ष्य होता है जोकि शुरु की गई परियोजना की कोफाइनेंसिंग की भूमिका द्वारा निर्धारित होता है। भारत में जीईएफ अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों और कार्य निष्पादन एजेंसियों जैसे यूएनडीपी, यूएनईपी, डब्ल्यूबी, यूएनआईडीओ, एफएओ, एडीबी और आईएफएडी के माध्यम से कार्य करती है।

– 1991 के बाद से जीईएफ ने 160 से अधिक देशों में 1900 से ज्यादा परियोजनाओं के लिए अनुदान उपलब्ध कराया है। 1991 के बाद से ही भारत ने 42 यूएस डॉलर का योगदान किया है और जीईएफ ट्रस्ट फंड से जीईएफ अनुदान के रुप में 260 मिलियन यूएस डालर की राशि प्राप्त की है। भारत में जीईएफ परियोजनाओं ने लगभग 1798 मिलियन यूएसडालर का को–फाइनैंस लीवरेज किया है। भारत ने 29.6 मिलियन (जैवविविधता के लिए) का इंडिकेटिव आरएएफआवंटन प्राप्त किया है और 2006–2010 की अवधि के लिए 74.9 मिलियन यूएस डालर (जलवायु परिवर्तन के लिए) प्राप्त किया है। 2007–08 में जीईएफ आवंटनों का उपयोग करते हुए हमने अन्य परियोजनाओं के अलावा ऊर्जा क्षमता (40 मि. यूएसडालर), प्रोगमैटिक अप्रोच ऑन कंजर्वेशन ऑफ मेरिन एंड कोस्टल ईकोसिस्टम (14.07 मि. यूएस डालर) पर एक प्रैगमैटिक अप्रोच विकसित की है।

– भारत सरकार का पर्यावरन और वन मंत्रालय, भारत में जीईएफ नामित – ऑपरेशनल फोकल प्वाइंट है। मुख्य रूप से यह देश में जीईएफ परियोजनाओं का समन्वयन और अन्य कार्यरत कार्यकलापों के साथ साथ वाशिंगटन में वर्ष में दो बार जीईएफ परिषद की बैठकों में भाग लेता है। आर्थिक कार्य विभाग, भारत का जीईएफ राजनीतिक केन्द्र बिन्दु है तथा जीईएफ को शासित करने संबंधित नीति मुद्दों को शासित करने के लिए जिम्मेदार है।

– सचिव (पर्यावरण एवं वन) की अध्यक्षता में जीईएफ शक्ति प्राप्त समिति का गठन, 2003 में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का निर्धारण करने और जीईएफ प्रस्तावों की एलिजिबिलिटी चैक्स, अनुमोदन आदि को युक्तिसंगत बनाने, परियोजना विकास कार्यान्वयन तथा विभिन्न मंत्रालयों और जीईएफ एजेंसियों के बीच कार्रवाई का समन्वय करने के बीच कार्रवाई का समन्वय करने के प्रयोजन से किया गया था। इस समिति की बैठक त्रैमासिक आधार पर होती है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में इसमें भाग लेते हैं। सम्बन्धित लाइन के मंत्री, राज्य सरकार, जीईएफ एजेंसियां तथा परियोजना प्रस्तावक विशेष आमंत्रितों के रुप में इस बैठक में भाग लेते हैं। परियोजना/कन्सैप्ट नोट्स संयुक्त सचिव और जीईएफ ऑप्रेशनल फोकल प्वाइंट इंडिया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को क्रमिक आधार

पर प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

– 1992 में शुरू किए गए लघु अनुदान कार्यक्रम (एसजीपी), जीईएफ की बडी और मझोली परियोजनाओं के लिए एनजीओ, स्थानीय समुदायों और अन्य बुनियादी संगठनों की सीधी भागीदारी के द्वारा उनकी सहायता करती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए, भारत में एसजीपी को केन्द्र द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है और उसका समन्वयन किया जा रहा है। संयुक्त सचिव, आईसी और एसडी डिवीजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विषय संचालन समिति तथा जीईएस आपरेशनज फोकल प्वायंट, भारत, तीन माह में एक की परियोजनाओं का अनुमोदन करते है। परियोजनों प्रस्ताव/अवधारना नोट्स को वर्ष में किसी भी समय सीईई के क्षेत्रीय प्रकोष्ठों को बारी – बारी से प्रस्तुत कर सकते है। वर्ष 1996 से, भारत के लघु अनुदान कार्यक्रम (एसजीपी) के द्वारा 3.8 मिलियन अमरिकी डालर मूल्य का जीईएफ अनुदान 185 परियोजनाओं के लिए प्रदान किया गया है जबकि परियोजना सह – वित्तपोषण के रूप में 4.2 मिलियन अमरीकी डालर एकत्र किए गए है। (विवरणः www.sgpindia.org पर उपलब्ध है।)

दिल्ली सतत् विकास शिखर-सम्मेलन

– सतत् विकास पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक थ्रस्ट क्षेत्र होने के कारण यह मंत्रालय 2001 के बाद से दिल्ली सतत् विकास शिखर सम्मेलन आयोजित करने हेतु ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) के प्रयासों का समर्थन करता आया है।

– टेरी द्वारा 7–9 फरवरी, 2008 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 8वें सतत् विकास सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इस बार सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन को इवेंट के थीम के रुप में शुरु किया गया है ताकि जलवायु परितर्वन और सतत् विकास मामलों पर वैश्विक डिबेट में महत्वपूर्ण योगदान किया जा सके।

दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी)

– दक्षिण एशिया सहकारिता पर्यावरण कार्यक्रम (एससीईपी) की शुरुआत 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलंबो में है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक और मानवी, दोनों तरह के पर्यावरणों में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, सतत् विकास और आर्थिक और सामाजिक विकास के उन मामलों के लिए, जिनमें पर्यावरण विषय पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है, इसकी शुरुआत की गई है। यह क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सहायता करता है। इसके लिए सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं के अलावा इस तरह के कार्यों और संरक्षण प्रयासों में लगे विशेषज्ञ समूहों के साथ मिलकर कार्य किया जाता है।

– सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत के लिए एसएसीईपी के फोकल प्वाइंट है। एसएसीईपी द्वारा इसकी गवर्निंग कौंसिल की बैठकें की जाती हैं जोकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर के मामलों पर ध्यान केन्द्रित करती है। एसएसीईपी की गवर्निंग कौंसिल की बैठक 25 जनवरी, 2007 की काठमांडू में आयोजित की गई थी। बैठक में संस्थागत मामलों, परियोजना स्थिति और कार्ययोजना पर विचार विमर्श किया गया।

सार्क (दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन)

– इस क्षेत्र के आठ देश सार्क के सदस्य हैं, नामतः अफगानिस्तान, नेपाल, भारत, बंग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, माल्दीव और श्रीलंका। अब तक साक्र के अन्तर्गत सात पर्यावरण मंत्रियों के सूंलन हो चुके हैं, जिसकी पर्यावरण, मौसम विज्ञान और वानिकी पर एक समिति है जो इन क्षेत्रो में कार्य की कार्य योजना तैयारी करेगी और उसे कार्यान्वित करेगी। पर्यावरण में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाना ही सार्क बैठकों का मुख्य मुद्दा है।

– इस साल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में भूटान में सार्क फारेस्ट्री केन्द्र की स्थापता करना है। भारत साक्र का वर्तमान मेजबान है तथा साक्र के विभिन्न मंचों की घोषणाओं को लागू करने में अग्रणी है तथा क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता में क्षेत्रीय सहयोग परियोजनाओं का प्रस्ताव कर रहा है।

द्विपक्षीय सहयोग

मंत्रालय ने आस्ट्रिया, चीन, जर्मनी, ईरान, इज़राइल, नीदरलैंड, मारिशस, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूए, यूके और वियतनाम के साथ पर्यावरण विषय पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों से अनेक पर्यावरणीय मुद्दों को शामिल किया गया है।

– यूरोपियन आयोगः यूरोपियन आयोग के कार्यकलापों के अन्तर्गत भारत–यूरोपियन यूनियन संयुक्त कार्य योजना, सहायता सुविधा परियोजना आती हैं। कार्य योजना सहायता सुविधा से संबंद्ध सभी कार्यकलापों को पूरा कर लिया गया है तथा परियोजना अब शीघ्र शुरू हो जाएगी।

– निरंतर विकास पर भारत – यूके उच्च स्तरीय वार्ता पर संयुक्त घोषना के अन्तर्गत प्रारंभिक कारिवाई को समयबद्ध कार्यक्रम से आगे बढाया गया जिससे सहकारिता अर्थात् के क्षेत्र में चार कार्यदल बनाए गए वन्यजीव, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व, निरंतर वानिकी (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) और निरंतर उत्पादन और खपत,

– ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन एन्वायरनमेंट विद नार्वे की पहली बैठक अक्तूबर, 2007 में नार्वे में हुई थी जिसमें दोनों देशों के बीच आगे सहयोग करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

– संयुक्त कार्यदल की पर्यावरण पर भारत और फिनलैंड के बीच चौथी बैठक अक्तुबर 2007 में जिसमें द्विपक्षीय सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यावरणीय मुद्दे दोनों विषयों पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान जलवायु परिवर्तन वायु प्रदूषण नियंत्रण सतत् खपत और उत्पादन आदि के बारे में चर्चा हुई। विचार विमार्शों में जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण नियंत्रण, सतत उपयोग और उत्पादन आदि मामलों को शामिल किया गया।

– पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सुरक्षा एजेन्सी (यूएसईपीए) के बीच जनवरी 2002 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में इस मंत्रालय और यूसईपीए के बीच नीति और तकनीकी सहयोग पर पर्यावरण संरक्षण के लिए समान आशंकाओं तथा निरंतर विश्वास करने के ढॉचा उपलब्ध कराया गया है। इस समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत आने वाले कार्यकलापों में पर्यावरणीय शाशन,वायु एवं जल गुणवत्ता प्रबंधन, विषैले रसायनों और खतरनाक अपशिष्टों के प्रति हमारी चिंता पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होती है। पर्यावरण ज्ञापन की अवधि पांच वर्ष आगे बढ़ाने के लिए एक दस्तावेज पर तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्री श्री ए. राजा और भारत में आए हुए यूएसईपीए प्रशासक श्री स्टीफन एल जॉनसन के बीच अप्रैल 2007 में हस्ताक्षर हुए।

– मंत्रिमण्डल द्वारा 23 नवम्बर 2006 को अनुमोदन प्रदान करने के बाद पर्यावरणीय सहयोग के क्षेत्र में एक नये द्विपक्षीय समझौते पर मॉरिशस के साथ हस्ताक्षर हुए।

– भारत–कनाडा पर्यावरण सहयोग मंच पर एक संयुक्त वक्तव्य पर भी 17 सितम्बर, 2007 को हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत–कनाडा द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में बहुत समय से महसूस की जा रही कमी को पूरा किया गया है, तथा नियमित बैठकों/बातचीत के द्वारा इसे और आगे बढ़ाने की आशा है।

– स्वीडन के साथ भी अनेक द्विपक्षीय कार्यकलाप किए गए तथा जहॉ से सितम्बर 2007 में एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल भारत में पर्यावरणीय सहयोग, जैसे कि भारत–स्वीडन ज्ञान सुविधा, एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना करना, तथा पर्यावरण के क्षेत्र में देश–से–देश के साथ प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर करने, इत्यादि की संभावना का पता लगाने के लिए आया।

विश्व-बैंक

– आईसी और एसडी प्रभाग, पर्यावरणीय परियोजनाओं से संबंधित समग्र विश्व बैंक के विभागों के लिए एक नोडल प्वाइंट है। यह प्रारंभिक कार्यकलापों का समन्वयन करता है जिनमें परियोजना के वास्तविक रूप में शुरू होने से पहले संबंधित विषयों के प्रभागों के साथ आवश्यक बातचीत करना शामिल है।

देशीय पर्यावरणी विश्लेषण

– विश्व बैंक के साथ मिलकर मंत्रालय ने एक कंट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस नामक एक अध्ययन कराया है जिसमें पर्यावरणीय अनुपालन की मानीटरी और प्रवर्तन को सुदृढ़ करने वाले उपायों की पहचान करने और उनकी सिफारिश करने के लिए तथा पावर, राजमार्ग और उद्योग संबंधी तीन क्षेत्रों में पर्यावरणीय निष्पादन में वृद्धि करने के लिए कराया गया है। इसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में इन क्षेत्रों में चुनिंदा केस अध्ययनों से प्राप्त अनुभवों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने पर, बेहतर कार्य प्रणालियों संबंधी शिक्षा प्राप्त करने तथा बेहतर पर्यावरणीय निष्पादन और अनुपालन हेतु मौजूदा अवरोधों की पहचान करना शामिल है।

– सीईए का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और अन्य पर्यावरण संबंधित अधिनियमों को कार्यान्वित करना है, जिसके लिए यह प्रमुख संस्थानों द्वारा पर्यावरण के प्रति अच्छी निष्पादकता और अनुपालन करवा कर उसका मूल्यांकन करता है। विशिष्ट रूप से इस अध्ययन द्वारा संस्थागत व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं तथा योजना की कमियों और डिजायन और विकास की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जांच की जाएगी तथा एकीकरण के प्रोत्साहनों के लिए पर्यावरण के तीन प्रमुख सेक्टरों पावर, राजमार्ग और उद्योग के क्षेत्र में खामियों का पता लगाया जाएगा।

– यह अध्ययन मानीटरिंग और प्रवर्तन के लिए अपेक्षित नीतिगत उपायों क्षमता निर्माण के क्षेत्र और संस्थागत सुधारों की पहचान करेगा तथा देश में इसके लिए तेजी से ढांचा और औद्योगिक विकास के संदर्भ में बेहतर पर्यावरण और पारिस्थिति की निष्पादकता के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगा। भारतीय सीईए के मुख्य परिणाम, इसकी विशिष्ट कार्रवाई करने योग्य सिफारिशें हैं जिन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वहॉ की सरकारों के साथ व्यापक स्तर पर विचार–विमर्श की प्रक्रिया के बाद कि किस प्रकार पर्यावरणीय निरंतर विकास कार्यों को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, संयुक्त रूप से विकसित की जाएं।

पर्यावरणीय प्रबंधन में परामर्शी सेवाएं (एएसईएम)

– भारत–जर्मन तकनीकी सहयोग से यह एक विशाल परियोजना है जिसके अन्तर्गत जर्मन की सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में समर्थन प्राप्त वर्तमान और भविष्य की योजनाएं हैं। परियोजना (2002-2005) के चरण–I के लिए प्रारंभिक निधि 3 मिलियन यूरो है। चरण–II के लिए, पहले दी गई 3 मिलियन यूरो की सहायता के अलावा, हाल ही में 1.7 मिलियन यूरो राशि पर सहमति दी गई है।

– एएसईएम छह प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करता हैं। यह हैं – पर्यावरणीय योजना, अपशिष्ट प्रबंधन, निरंतर लघु उद्योग/क्लीनर प्रौद्योगिकियां, साफ उत्पादन, स्वच्छ विकास तंत्र/परियोजना ईको–शहरी, ईको–औद्योगिक एस्टेट्स, ईको–औद्योगिक पार्कों, मदुरै की इलैक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री के लिए, अपशिष्ट प्रबंधन, धारणीय लघु उद्योगों, सफाई विकास तंत्र और ई–वेस्ट प्रबंधन के क्षेत्र में अच्छी प्रकार से विकसित हुई हैं। परियोजना के मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत पहचान किए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंधित प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

– परियोजना के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य जर्मन–पक्ष द्वारा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के लिए तकनीकी सहायता देने की वचनबद्धता थी।

– एक अन्य कार्रवाई के अन्तर्गत, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूएनआईडीओ और वियना शहर द्वारा ईको–शहरों के लिए ईको–व्यापारिक योजनाएं तैयार करना है।

– वर्ष के दौरान परियोजना के नामित केन्द्रीय क्षेत्रों के लिए स्वच्छ उत्पादन के लिए तकनीकी सहायता, वायु और जल नियंत्रण बोर्डों, म्युनिसिपल अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण में मानव संसाधन विकास, इत्यादि गतिविधियाँ शुरू की गई हैं।

विदेश में प्रशिक्षण

विदेश में पर्यावरण और वानिकी के क्षेत्र में अधिकारियों में क्षमता निर्माण करने का कार्य आई.सी. और एस.डी. प्रभाग द्वारा किया जाता है। विभिन्न राज्य सरकारों, एस.पी.सी.बी., पर्यावरण विभागों, इत्यादि का डाटा बैंक इसी प्रयोजनार्थ इस प्रभाग द्वारा रखा जाता है। वर्ष 2007-08 के दौरान लगभग 25 अधिकारियों ने अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ईको– इण्डस्ट्रीयल एस्टेट डेवलपमेंट, पर्यावरणीय प्रबंधन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, इत्यादि जैसे क्षेत्रों में विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए उनकी कार्य संबंधी आवश्यकताओं राज्य सरकारों का विधिवत प्रतिनिधित्व करने, इत्यादि को ध्यान में रख कर भेजा जाता हे।

अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों की सुविधा

आई.सी. और एस.डी. प्रभाग विभिन्न महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में इस मंत्रालय के शिष्टमण्डल द्वारा निरंतर विकास करने, द्विपक्षीय और बहु–पक्षीय और बहु–पक्षीय सहयोग, यूएन के निनियमों में बातचीत करने, अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं और संगोष्ठियों इत्यादि में भाग लेने के लिए धन तथा अन्य व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मंत्रालय के साथ द्विपक्षीय सहयोग आगे बढ़ाने के लिए विदेशों से आने वाले सभी प्रतिनिधिमण्डलों के लिए भी यह व्यवस्था करता है।

जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन पर अनुकूलन और क्षमता निर्माण परियोजना

परिचय और उद्देश्य

जलवायु परिवर्तन, एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। जलवायु परिवर्तन पर 2007 में प्रकाशित अन्तर सरकारी पैनल की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट में पृथ्वी के भविष्य की एक गंभीर स्थिति का चित्रण किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का पृथ्वी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। यह बहुत संभव है कि जलवायु परिवर्तन से निरंतर विकास की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जो या तो इसके सीधे–सीधे संपर्क में आने के प्रभाव के कारण अथवा इसके अनुकूल बनने की क्षमता में कमी आने के कारण हो सकता है।

– जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले खतरों की पहचान करते हुए, अधिकांश राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय संधि, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी), से इस लिए जुड़ गए कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बढ़ते हुए तापमान को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। भारत यूएनएफसीसी का एक भागीदार है जिसे वर्ष 1992 में अपनाया गया था तथा 21 मार्च 1994 से प्रवर्तित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य वायुमण्डल में ग्रीनहाउस गैस की सघनता एक ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जो मानव–विज्ञान के लिए खतरनाक तत्वों को जलवायु प्रणाली के साथ मिलने से रोक सके। ऐसा स्तर निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त करना है जिसके अन्दर पर्यावरण प्रणाली प्राकृतिक रूप से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य उत्पादन के लिए कोई खतरा नहीं है तथा निरंतर विकास की प्रक्रिया चलती रहे। सम्मेलन में प्रतिभागियों को समानता और अपनी–अपनी क्षमता के अनुसार समान परन्तु विभिन्न जिम्मेदारियों के अनुरूप जलवायु संरक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

– जलवायु परिवर्तन को अधिक ठोस कार्य योजना प्रदान करने के लिए 1997 के सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों से क्योटो प्रोटोकोल अपनाने के लिए कहा गया ताकि सम्मेलन के अन्तर्गत इसके उद्देश्यों को और आगे बढ़ाने के लिए विकसित राष्ट्र की बचनबद्धता को मजबूत बनाया जा सके। क्योटो प्रोटोकाल, विकासशील अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रहे राष्ट्रों सहित विकसित राष्ट्रों से यह वचन लेता है कि वह 2008-2012 के दौरान ग्रीन हाउस गैसों से निकलने वाले उत्सर्जन की मात्रा को 1990 के स्तर से औसतन 5.2 प्रतिशत नीचे लाएंगे। क्योटो प्रोटोकाल 16 फरवरी, 2005 से लागू हुआ था। भारत इसका सदस्य है।

शुरू किए गए कार्यों में हुई प्रगति

– जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और क्षमता निर्माण परियोजनाः 'अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन पर क्षमता निर्माण परियोजना' योजना के अन्तर्गत, ठोस आर्थिक और कठिन वैज्ञानिक परिणामों सहित भारत सरकार की माडलिंग कार्रवाई का समर्थन करने वाली परियोजनाओं सहित जलवायु परिवर्तन से जुड़ी–परियोजनओं के लिए वित्त पोषण किया गया है।

वर्ष के दौरान, मंत्रालय द्वारा वित्त–पोषित की गई नई परियोजनाएं हैं :

भारत में निरंतर विकास के लिए उर्जा बचत के मार्ग, और

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय नीति

स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम)

– क्योटो प्रोटोकोल के स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) के तहत, एक विकसित राष्ट्र, उत्सर्जन सीमा की निर्धारित मात्रा और उसे कम करने की वचनबद्धता सहित, किसी विकासशील राष्ट्र में ग्रीन हाउस गैस कम करने की परियोजना पर कार्य शुरू करेगा। फलस्वरूप कम हुए। सर्टिफाइड उत्सर्जन को किसी विकसित राष्ट्र के दलों द्वारा अपने उत्सर्जन के निर्धारित कम लक्ष्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। भारत सरकार ने दिसम्बर 2003 में राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण की स्थापना की जिसका कार्यालय पर्यावरण और वन मंत्रालय में स्थित है। राष्ट्रीय सी डी एम प्रधिकरण, मेजबान राष्ट्र के अनुमोदनार्थ सी डी एम परियोजनाओं का मूल्यांकन और उनके लिए सिफारिश करती है। सी डी एम का उद्देश्य, विकासशील देशों द्वारा औद्योगिक रूप से विकसित देशों की सरकारों से पर्यावरण हितैषी निवेश करवा कर निरंतर विकास कराने में मदद करना है।

– राष्ट्रीय सी.डी.एम. प्राधिकरण की बैठकें आवधिक रूप से की जाती हैं जिससे कि मेजबान देश के अनुदान अनुमोदन के लिए सी डी एम परियोजना पर विचार किया जा सके। दिसम्बर 2007 तक, राष्ट्रीय सी डी एम प्रधिकरण द्वारा बायोमास आधारित सहउत्पादन, ऊर्जा दक्षता, नगरीय ठोस अपशिष्ट, नवीकरण योग्य–जैसे कि हवा, लघु जल परियोजनाएं, इत्यादि के क्षेत्र में 772 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। इन परियोजनाओं से वर्ष 2012 तक , यदि सभी परियोजनाएं सीडीएम बोर्ड में पंजीकृत हो जाती है तो इनसे 443 मिलियन सर्टिफाइड उत्सर्जन (सी.ई.आर.) कम पैदा होंगे।

अन्तर मंत्रालयी और अन्तर-एजेन्सी परामर्शी तंत्र

– नीतियॉ तैयार करने और अपनी कार्यनीति विकसित करने के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय होने के कारण, जलवायु परिवर्तन के संबंध में बात चीत करने के लिए सचिव (पर्या. एवं वन) एक अन्तर मंत्रालयी और अन्तर एजेन्सी परामर्शी ग्रुप के अध्यक्ष हैं जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विख्यात राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। इस

ग्रुप के अलावा अन्य कई छोटे–छोटे ग्रुप, जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर राजनैतिक उप–ग्रुप, तथा जलवायु परिवर्तन पर माडलिंग उप–ग्रुप है, जिनकी नियमित बैठकें होती रहती हैं। चूंकि वानिकी का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है, अतः वर्ष के दौरान वानिकी के मुद्दे पर एक पृथक उप–ग्रुप की स्थापना की गई।

जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री की परिषद्

– प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति जिसका जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परिषद का गठन जून, 2007 में जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन, अनुकूलन और उसके प्रभाव कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई का समन्वयन करने के लिए किया गया। परिषद की पहली बैठक जुलाई 2007 में हुई थी तथा परिषद की दूसरी बैठक नवम्बर 2007में हुई। अन्य निर्णयों के साथ–साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न चुनौती का सामना करने हेतु संकलित किए गए उपायों का एक राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार करना तथा भारत द्वारा इस प्रयोजनार्थ किए जाने वाले उपायों का जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय दस्तावेज़ तैयार करना है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विशेषज्ञ समिति

- केन्द्रीय बजट 2007–08 पेश करते समय माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घाषणा के अनुसरण में सरकार ने दफ्तर आर. चिदम्बरम, प्रधान, वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार की अध्यक्षता में 7 मई 2007 को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। उपर्युक्त समिति के विचाराधीय विषयों के अन्तर्गत भारत पर मानव जनित जलवायु परिर्वतन के प्रभावों का अध्ययन करना और ऐसे उपायों की पहचान करना है जो हमें मानवजनित जलवायु के परिवर्तन के प्रभावों की संवेदनशीलता से निपटने के लिए हमें भविष्य में अपनाने पड़ सकते हैं। इस विशेषज्ञ समिति में जाने माने शिक्षाविद् वैज्ञानिक तथा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वैज्ञानिक भी शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचागत सम्मेलन पर भारत का राष्ट्रीय कम्यूनिकेशन (यूएनएफसीसीसी)

– भारत, यूएनएफसीसीसी का एक सदस्य है। सदस्य होने के नाते इसके दायित्वों में से एक दायित्व सम्मेलन के अधीन कार्यान्वित की गई सामान्य वचनबद्धताओं के संबंध में राष्ट्रीय कम्यूनिकेशन के रूप मे सूचना भेजना है। इसका उद्देश्य द्वितीय राष्ट्रीय सम्प्रेषण तैयार करने के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा से निधि प्राप्त करने के लिए पूर्ण स्तरीय परियोजना तैयार करना, है। विभिन्न सूचना तत्वों में, अन्य के साथ – साथ, ग्रीन हाउस इन्वेंटरीज़ का अनुमान लगाना है जिसमे अनुमानन की अनिश्चितता मे कमी लाना, भेद्यता आंकलन, और अनुमानित जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन का विभिन्न सैक्टर्स, जैसे कि कृषि, जल, वानिकी, बुनियादी ढांचे, समुद्र जल का स्तर बढ़ना, अत्यधिक जलवायु परिवर्तन होने, अनुसंधान और विधिवत प्रेक्षण, शिक्षा, लोक जागृति और क्षमता विकास की आवश्यकताएं शामिल हैं। सचिव (पर्यावरण एवं वन), की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है जो भारत की विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से राष्ट्रीय कम्यूनिकेशन पत्र तैयार करने के कार्य को देखेगी।

– भारत ने अपना प्रारंभिक राष्ट्रीय कम्यूनिकेशन जून 2004 में यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत कर दिया था। प्रारंभिक राष्ट्रीय कम्यूनिकेशन पत्र में शामिल तत्वों में ग्रीन हाउस गैस (जी एच जी) उत्सर्जन – 1994, आधार वर्ष के लिए कार्बन डाईआक्साईड, मिथेन और नाइट्रस आक्साईड; अन्य तत्वों के साथ – साथ जल संसाधनों, कृषि, वानिकी, प्राकृतिक ईको प्रणालियों, तटवर्ती क्षेत्रों, स्वास्थ्य, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर

जलवायु परिवर्तन के कारण सुभेद्य होने संबंधी एक प्रारंभिक राष्ट्रीय मूल्यांकन शामिल हैं। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा और बाढ़ की उग्रता पर देश के विभिन्न भागों में प्रभाव पड़ सकता है तथा इससे कन्वेंशन को कार्यान्वित करने के लिए किए गए अथवा किए जाने वाले उपायों का साधारण विवरण उपलब्ध होता है। भारत द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय कम्यूनिकेशन तैयार किया जाना और भेजना अपेक्षित है जिसमें वर्ष 2000 को आधार वर्ष मान कर अब तक की सूचना दी गई हो। इस कार्यकलाप पर कार्य शरू किया जा चुका है। राष्ट्रीय कम्यूनिकेशन तैयार करने हेतु समग्र मार्ग दर्शन उपलब्ध कराती, सचिव (पर्या. एवं वन) की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को मिला कर गठित राष्ट्रीय संचालन समिति है।

– संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से वैश्विक पर्यावरण सुविधा से निधि प्राप्त कर लेने के बाद अनेक कार्यकलाप शुरु किए गए जिनमें अन्य बातों के साथ – साथ राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक (मई 22, 2007) का आयोजन करना तथा 28 मई 2007 को यूएनएफसीसीसी के लिए भारत के दूसरे राष्ट्रीय कम्यूनिकेशन (एस. एन. सी.) पर स्थापना कार्यशाला का आयोजन करना शामिल है ताकि एसएनसी के कार्यक्रम कार्यान्वयन के साथ – साथ ग्रीन हाउस इन्वेंटरी अनुमानन, सूची अनुमानन की अनिश्चितता में कमी, सुमेद्यता मूल्यांकन और अनुकूलन तथा शिक्षा और जनजागृति पैदा की जा सके। मानव – स्रोतों से उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैसों की सूची – करण के अनुमानन से संबंधित विभिन्न सैक्टरों जैसे कि ऊर्जा, उद्योग, कृषि, वानिकी और अपशिष्ट पर कारवाई शुरू हो चुकी है।

जलवायु परिवर्तन पर अन्तर सरकारी पैनल (आईपीसीसी)

– जलवायु परिवर्तन पर अन्तर–सरकारी पैनल (आईपीसीसी) ने जलवायु परिवर्तन पर नवम्बर, 2007 में चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की। यह वर्ष के दौरान जारी की गई तीन कार्य दलों की रिपोर्ट पर आधारित है। प्रथम रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर विज्ञान; दूसरी रिपोर्ट जलवायु के प्रभाव, अनुकूलन और सुमेद्यता पर तथा तीसरी रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण पर आधारित है।

– वर्ष के दौरान, आईपीसीसी की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट की सरकारी समीक्षा का कार्य व्यापक अध्ययन और टिप्पणियों के उस संश्लेषण से शुरू किया गया जो देश व्यापी आधार पर प्राप्त हुई विशेषज्ञों की विभिन्न पहलुओं जलवायु परिवर्तन के, नामतः सुमेद्यता, अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन विज्ञान, जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण के बारे में था। आईपीसीसी की बैठकों में अन्तर मत्रालययी शिष्टमण्डलों ने भाग लिया जहां आईपीसीसी की संश्लेषण रिपोर्ट सहित चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट को अंगीकार किया गया।

– बहुत से भारतीय वैज्ञानिको ने आईपीसीसी की मूल्यांकन रिपोर्ट में अपना योगदान दिया। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा आईपीसीसी के कार्य, जिसे वर्ष 2007 के लिए संयुक्त नोबेल शांति पुरस्कार घोषित किया गया में उनके योगदान को मान्यता देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर 26 नवम्बर, 2007 को एक बधाई समारोह का आयोजन किया। प्रत्येक योगदान करने वाले वैज्ञानिक को प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया गया।

भारत में जलवायु के प्रभावों पर भारत-यूके सहयोगात्मक - अनुसंधान कार्यक्रम-चरण-II (प्रभाव और अनुकूलन)

– यूनाइटिड किगंडम सरकार, पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों का विभाग तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के बीच एक सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम, शुरू किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु परिदृश्य में सुधार करना, उसके असर की अनिश्चित्ता कम करना, तथा स्टेकहोल्डर की संलिप्तता क्षेत्रीय परियोजनाओं में अनुकूलन के तत्वों पर विचार करना शामिल करना है।

– जलवायु परिवर्तन पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग के तत्वावधन के अधीन जलवायु परिवर्तन पर भारत यूके सहयोगात्मक अनुसंधान चरण–II शुरू किया गया। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत तथा यूके; पर्यावरण विभाग खाद्य और ग्रामीण मामलों के विभाग ने भारत में जलवायु परिवर्तन पर अनुकूलन और प्रभावों पर तीन वर्षीय अनुसंधान कार्यक्रम संयुक्त रूप से शुरू किया है। परियोजना को भारत की मौजूदा कार्यकुशलता पर तैयार किया गया है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मूल्यांकान किया जा सके, वर्तमान जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान की अनिश्चितताएँ कम की जा सकें, तथा जलवायु परिवर्तन के विज्ञान में योगदान किया जा सके।

– चरण–II के कार्यक्रम में प्रथमतः जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के साथ–साथ प्रभावों के राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन के प्रभावों की पुनरीक्षा तथा दूसरा, भारत में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में क्षमता निर्माण करने के लिए क्षेत्रीय परियोजना के माध्यम से विशिष्ट सैक्टरों के लिए जलवायु परिवर्तन शामिल है। क्षेत्रीय परियोजना जल संसाधन, कृषि और स्वास्थ्य के सैक्टरों में मुख्य रूप से कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त, चरण–II में भारत और यूके के संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमता निर्माण करना शामिल है ताकि अध्ययन से संबंधित प्रशिक्षण के अवसरों का विकास किया जा सके।

– पर्यावरण और वन मंत्रालय और डीईएफआरए के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित संचालत समिति, चरण–II के विकास और कार्यान्वयन के कार्यक्रम की देखरेख करेगी। नई दिल्ली में 20 नवम्बर, 2007 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य विभिन्न स्टेक होल्डर्स के कार्य के तत्वों और डिजायन अध्ययन को प्रोसेस किया जा सके।

जलवायु परिवर्तन पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैठकें

– भारत की ओर से एक अन्तर मंत्रालयी प्रतिनिधिमेंडल ने मई, 2007 में यूनाईटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 26वें सत्र में तथा अनुबंध I के लिए आगे की वचनबद्धताओं पर एडहॉक वर्किंग ग्रुप (एडब्ल्यूजी) के तीसरे सत्र में भाग लिया। भारत ने बजट दस्तावेजों के व्यापक अध्ययन पर आधारित अनुकूलन उन्मुखी कार्यों तथा उन स्कीमों/कार्यक्रमों आदि, जो कि भारत सरकार विकास योजनाओं के अंग के रुप में चलाती रही है जिनका अनुकूलन से सीधा संबंध है, से संबंधित व्यय संबंधी आंकड़ों के बारे में एक कंट्री प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में यह दिखाया गया कि भारत प्राकृतिक जलवायु वैगेरिज की देखरेख करने के लिए अनुकूलन संबंधी गतिविधियों के संबंध में जीडीपी का 2 प्रतिशत पहले से खर्च कर रहा है। प्रेजेंटेशन इस राजनीतिक संदेश के साथ सम्पन्न हुआ कि विकास संसाधनों से हटे बिना अतिरिक्त निधियों के लिए स्पष्ट अनुकूलन की आवश्यकता होगी।

– हेलीजेंडम, जर्मनी में जून, 2007 में आयोजित जी8+05 की बैठक में जिस प्रमुख थीम पर विचार विमर्श हुआ, वह था जलवायु परिवर्तन। अपने हस्तक्षेप के दौरान, डॉ. मनमोहन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रुप से कहा कि "हम इस बात पर अडिग हैं कि भारत का प्रतिव्यक्ति ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों का स्तर विकसित देशों के ग्रीन हाऊस उत्सर्जनों से अधिक न हो और साथ ही भारत अपने विकास और आर्थिक प्रगति की नीतियों पर भी अमल रहे।

– भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने क्योटोप्रोटोकॉल (एडब्ल्यूजी) के अंतर्गत अनुबंध I पक्षकारों के लिए आगे की वचनबद्धताओं पर एडहॉक वर्किंग ग्रुप के चौथे सत्र में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने 27–31 अगस्त, 2007 के दौरान वियना, आस्ट्रिया में होने वाले कन्वेंशन के कार्यान्वयन को विस्तारित करते

हुए जलवायु परिवर्तन की समस्या को एड्रेस करने हेतु दीर्घावधिक को–ऑपरेटिव एक्शन पर डायलाग के अंतर्गत चौथी कार्यशाला में भी हिस्सा लिया। इस सत्र में अनुबंध I के पक्षकारों के क्वांटीफाइड एमिशन लिमिटेशन/रिडक्शन संबंधी लक्ष्यों को निर्धारित करने संबंधी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। विचार–विमर्श के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जीएजी मिटिगेशन इंटरवेंशन्स – हाउ फार फीजिबल इन इंडिया शीर्षक से एक एक प्रेजेंटेशन दिया जिसके द्वारा कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में जैसे कि एसएमई, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी आदि में सीओ$_2$ उत्सर्जन को कम करने के लिए 2036 तक क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमैंट आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया।

– जलवायु परिवर्तन का विषय वर्षों से काफी महत्व का होता जा रहा है और इस विषय पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय फोरम में चर्चा हुई। इस विषय के महत्व के बारे में इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसपर 24 सितम्बर, 2007 को यूनाईटेड नेशन्स जनरल असैंबली में भी व्यापक चर्चा हुई थी। माननीय वित्तमंत्री ने जलवायु परितर्वन मुद्दे पर भारत के इस रूख पर जोर देकर कहा और यह महसूस किया कि इस ईवेंट से सामूहिक किन्तु अलग–अलग दियित्वों और संबंधित क्षमताओं के सिद्धान्त के अनुसार यूनाईटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाईमेट चेंज में इस प्रक्रिया को आगे ले जाने में मदद मिलेगी।

– यूएसए की पहल पर एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज पर मेजर इकोनॉमीज मीटिंग सितम्बर, 2007 में वाशिंगटन डीसी में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बैठक में प्रभावपूर्ण ढंग से हिस्सा लिया। इस बैठक की सबसे खास बात यह थी कि सभी पक्षकारों ने यूएएफसीसीसी के महत्व की पुष्टि और यूएसए ने विशेष रुप से यह आश्वासन दिया कि एमईएम यूएनएफसीसीसी प्रक्रिया का सब्सीट्यूट नहीं हो सकता। एमईएम की द्वितीय बैठक जनवरी, 2008 में होनोलूलू में हुई।

– एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लीन डेवलपमेंट एंड क्लाईमेट की द्वितीय मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में 15 अक्तूबर, 2007 को हुई थी और इससे पूर्व 14 अक्तूबर, 2007 को प्रोग्राम एंड इम्पलीमेंटेशन कमेटी की बैठक हुई थी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में कनाडा को पार्टनरशिप के सातवें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। मीटिंग के दौरान 18 फ्लैगशिप्स परियोजनाएं भी अनुमोदित की गई।

– 13वीं यूएन क्लाईमेट चेंज कांफ्रेंस (सीओपी 13) की तैयारी के रुप में अनौपचारिक अन्तरमंत्रालयी बैठक बोगोर, इंडोनेशिया में अक्तूबर, 2007 को हुई थी। बैठक के दौरान 2012 के ढांचे के बाद के अनेक हवाले दिए गए। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि यूएनएफसीसीसी सार्वभौमिक आधार पर अपनाया गया है और 2012 क्योटो प्रोटोकाल के अंतर्गत पहली वचनबद्धता अवधि के लिए केवल शुरुआत का वर्ष है जोकि भावी वचनबद्धता अवधियों को स्पष्ट रुप से रेफर करता है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि इस समय आवश्यकता इस बात की है कि अनुबंध I के पक्षकार देशों के लिए 2012 के बाद की अवधि में लक्ष्यों को निर्धारित करने के क्रम में एक समयबद्ध कार्यक्रम के साथ विचार विमर्शों को वास्तव में दमदार बनाया जाए और इसमें ऐसे किन्हीं बाह्य मामलों का जिक्र न किया जाए जिनसे सामूहिक किन्तु अलग–अलग दायित्वों और अपनी–अपनी क्षमताओं के सिद्धान्त को प्रभावित करता हो।

– भारत की ओर से श्री कपिल सिब्बल, माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिक और पृथ्वी विज्ञान मंत्री के नेतृत्व में एक अन्तर मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों की तेरहवीं कांफ्रेंस में तथा क्योटोप्रोटोकाल के पक्षकारों की तृतीय बैठक जो 3–15 दिसम्बर, 2007 तक बाल, इंडोनेशिया में हुई थी, में हिस्सा लिया। बाली में हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ने

गवर्नमेंटल पैनल आन क्लाईमेट चेंज द्वारा हाल ही में जारी चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए तथा इस बात के लिए काफी ध्यान आकर्षित किया कि वर्ष 2007 ऐसा वर्ष है जोकि क्योटो प्रोटोकॉल 2008–2012 के अंतर्गत पहली वचनबद्धता अवधि से तत्काल पहले आता है। इन बैठकों के समानांतर वित्तमंत्री और ट्रेड मंत्रियों की बैठकें भी हुई। बाली में आयोजित कांफ्रेंस का मुख्य उद्देश्य विचार विमर्शों के लिए एजेंडा तैयार करना और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए एक भावी रेजीम के आधार पर टाइमटेबल तैयार करना था।

– बाली कांफ्रेंस के मुख्य निष्कर्ष प्रथमतः क्योटो प्रोटोकाल के अंतर्गत औद्योगिक देशों (अनुबंध I) की वर्ष 2012 के बाद की ग्रीन हाऊस गैस "(जीएचजी)" न्यूनीकरण वचनबद्धताओं के निर्धारण के लिए प्रक्रिया, द्वितीय, बाली कार्य योजना की शुरुआत, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चार बिल्डिंग ब्लाक्स अर्थात् जीएचजी न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन प्रौद्योगिकी विकास और सहयोग तथा वित्त आदि प्रक्रिया तैयार करना शामिल है। इस निर्णय का एक श्रेष्ठ बात यह है कि यूएसए ने भी ग्लोबल कन्सैंसस में भाग लिया और वह इस निर्णय को स्वीकार करने पर सहमत हो गया कि श्री कपिल सिब्बल की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कठिन विचार विमर्शों प्रक्रिया यूएनएफसीसी के सिद्धांतों के उपबंधों के अनुसार विशेषकर सामूहिक किन्तु अलग–अलग जिम्मेदारियों और अपनी–अपनी क्षमताओं और राष्ट्रीय हालातों के बीच भारतीय स्थिति को जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया। इसके अलावा, अन्य अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए विशेषकर इनमें से जलवायु परिवर्तन के अनुरुप अनुकूलन हेतु विकासशील देशों की सहायता करने के लिए अनुकूल कोष का प्रचालन करना प्रमुख निर्णय था।

ओजोन परत संरक्षण

परिचय और उद्देश्य

– सूर्य से निकलने वाली उच्च–ऊर्जा अल्ट्रावायलट रेडियेशन (यूवी) द्वारा पृथ्वी के वायुमण्डल में ऊपरी सतह में तीन सूक्ष्म अणुओं के मिलने से प्राकृतिक रूप से ओजोन परत बनती है। इस विकिरण (रेडियेशन) से ऑक्सीजन के अणु विखंडित हो जाते हैं, जिनसे एटम्स मुक्त हो जाते हैं तथा उनमें से कुछ ऑक्सीजन के अन्य अणुओं से मिलकर ओजोन बनाते हैं। इस प्रकार से बनने वाली लगभग 90 प्रतिशत ओजान, पृथ्वी की सतह से 15 से 55 कि.मी. के बीच रहती है जिसे स्ट्रेटो स्फेयर कहते हैं।

– सूर्य से निकलने वाली सभी हानिकारक पराबैंगनी विकिरण (यूवी) को यह स्ट्रेटो स्फियरिक ओजोन परत अपने में सोख लेती हैं। यह वन्यजीवों और पेड़ पोधों की यू.वी. रेडियेशन से रक्षा करती हैं। यू.वी. रेडियेशन से त्वचा का कैंसर ऑखों को नुकसान, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्षति, फसलों का उत्पादन कम, सत्तर के दशक के प्ररंभ के वलों को नुकसान पहुंचा, जिस कारण वर्ष 1985 में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वियना सम्मेलन हुआ तथा वर्ष 1987 मॉट्रियल प्रोटोकाल उन पदार्थों के लिए हुआ जो ओजोन परत में कमी लाते हैं। भारत में मांट्रियल प्रोटोकाल के प्रावधान और उसके लंदन संधोधनों को 17.09.1992 से लागू किया गया। भारत में कोपेनहेगन संशोधन (1992), मांट्रियल संशोधन (1997) तथा बीजिंग संशोधन (1999) का भी 3 मार्च, 2003 को अनुसमर्थन किया।

– भारत क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स (सी एफ सी–11, सी एफ सी 12, सी एफ सी – 13), हाइड्रोक्लोरो फ्लोरो कार्बन्स (4सी एफ सी 22), कार्बोनेट्राक्लोराईड) (सी टी सी) का उत्पादन करता है तथ हैलोन –1211, हैलोन–1301, मिथाईल क्लोरोफार्म और मिथई ला

ब्रोनाईड का उत्पादन रोक दिया है। ओजोन कम करने वाले इन पदार्थों (ओ डी एस) का प्रयोग रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, फोम अग्नि शामकों इलैक्ट्रॉनिक्स, एरोसाल फ्यूमिगेशन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।

– ओ. डी. एस. को धीरे–धीरे हटाने के लिए एक विस्तृत भारतीय देशीय कार्याक्रम को 1993 में बनाया गया था ताकि ओ.डी.एस. को राष्ट्रीयय ओद्योगिक विकास नीति के अनुरूप समाप्त किया जा सके, ताकि उपभोक्ता और उद्योग पर अधिक भार न पड़े तथा मॉण्ट्रियल प्रोटोकाल में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार प्रोटोकाल के वित्तीय तंत्र का उपयोग किया जा सके। देशीय कार्यक्रम को वर्ष 2006 तक अधतन कर दिया गया है। जुलाई 2006 में बहुपक्षीय निधि (एम. एल. एफ.) की कार्यकरणी समिति ने 49वीं बैठक में भारत के लिए देशीय र्काक्रम अधतन करने का अनुमादेन कर दिया था।

– मंत्रालय ने राष्ट्रीय यूनिट के रूप में ओजोन प्रकोष्ठ की स्थापना की है जो प्रोटोकाल का कार्यान्वयन और भारत में उसके ओ.डी.एस. कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करायेगा। मंत्रालय ने सचिव (पर्या. एवं वन) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन किया जाता है, जिसे स्थाई समिति का समर्थन प्राप्त है। ये समितियॉ, मॉण्ट्रियल प्रोटोकाल प्रावधानों को कार्यान्वित करेगी, उसकी विभिन्न नीतियों और कार्यान्वयन–विकल्पों, परियोजना अनुमोदनों और परियोजना मानीटरिंग की समीक्षा करेगी।

<u>शुरू किए गए कार्यकलापों की प्रगति</u>

– भारत ने देश में ओ.डी.एस. को धीरे–धीरे समाप्त करने के लिए अनेक राजकोषीय एवं विनियामक उपाए किए हैं। किए गए राजकोषीय उपायों में, सरकार ने ओडीएस की फेज आउट परियोजनाओं के लिए अपेक्षित सामान पर सीमा शुल्क और आबकारी शुल्क तथा नान–ओडीएस प्रौद्योगिकी सहित स्थापित उद्योगों के विस्तार और नये निवेश में छूट प्रदान की जाती है। चालू वित्त वर्ष, अर्थात 2007–08 में, उपर्युक्त प्रयोजन के लिए केवल सीमा का लाभ दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि ओडीएस प्रोद्योगिकी वाले नये प्रतिष्ठानों को वित्त पोषित न करें। प्रोटोकोल में शामिल न होने वाली पार्टियों के ओडीएस व्यापारों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी ओडीएस को आयात और निर्यात दोनों प्रयोजनों के लिए लाईसेंसिग प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया है। नान – आर्टिकल (5) देशों को सीएफसी के निर्यात को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।

– ओजोन नियमों में संशोधन किया गया है।

– राजकोषीय उपाए अपनाए गए हैं।

– जागरूकता कार्यक्रम जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस और तकनीकी कार्यशालाएं इत्यादि का 1995 से आयोजन किया गया।

– कार्यकारिणी समिति की बैठक, पार्टियों की बैठकों (एम.ओ.पी.) तथा अन्य संबद्ध बैठकों में भाग लिया।

– उत्पादन, निर्यात, आयात और ओजोनव्यम करने वाले पदार्थों पर डाटा, वर्ष 2006 के लिए ओजोन सचिवालय को प्रस्तुत कर दिया गया।

– सीएफसी और सीटीसी राष्ट्रीय फेज–आउट प्लांन को लागू करने के लिए परियोजना प्रबंधन यूनिट का गठन किया – सीमा शुल्क और अन्य प्रवर्तन एजेन्यिों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ओयोजित किए गए।

– सूचना सामग्री जैसे कि 'वाटिस' और 'मांट्रियल प्रोटोकाल भारत की सफलता की कहानी' प्रकाशित किए गए।

उपलब्धियाँ

मांट्रियल प्रोटोकाल के नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार भारत ने निम्नलिखित कार्य क्रमानुसर किए :–

– जुलाई 1999 में सी.एफ.सी. का उत्पादन और खपत क्रमशः 22588 ओ.डी.पी टन तथा 6681 ओ.डी.पी टन पर फ्रीज किया।

– हैलोन का उत्पादन और खतप 1.1.2002 को फ्रीज किया।

– हैलोन उत्पान और खपत की संपूर्ण समाप्ति 2003 में की।

– सीएफसी उतपादन और खपत पर वर्ष 2005 में 50 प्रतिशत कमी (उत्पादन 22588 मैट्रिक टन तथा खपत 6681 मै. टन से कम कर 1640 मै. टन की).

– सीटीसी उत्पादन और खपत पर वर्ष 2005 में 85 प्रतिशत कमी (उत्पादन 11525 मी. टन से 1508 मी टन तथा खपत 11537 मी. टन से कम कर 1493 मी. टन की)

– एमएलएफ की कार्यकारिणी समिति ने कुल 296 परियोजनाओं का अनुमोदन किया जिनमें ओ.डी.एस. की 25000 ओडीपी टन के उत्पादन और 23000 ओडीपी टन की खपत को फेज आउट करने के लिए 229 मिलियन अमरीकी डॉलर की निधि दी गई। अबतक, भारत ने (1.1.2005 तक की स्थिति अनुसार) सी. एफ. सी का 50 प्रतिशत लक्ष्य और सी टी सी का 85 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

– वर्ष 2006 और 2007 में, एम. एल. एफ. की 48वीं और 51वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक के दौरान सी. एफ. सी. उत्पादन क्षेत्र की फेज आउट परियोजना (राष्ट्रीय सी.एफ.सी. फेज आउट प्लान और सी.टी.सी. नेशनल फेज आउट प्लान) 2006 ओर 2007 को वार्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 23.96 मिलियन अमरीकी डॉलर मंजूर किए गए

जागरूकता कार्यकलाप

– संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा ने 23 जनवरी, 1995 को एक संकल्प 49/114 अपनाया, जिसमें 16 दिसम्बर को ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया जो ओजोन परत को कम करने वाले पदार्थों पर मॉण्ट्रियल प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर करने की स्मृति में रखा गया क्यों कि इस पर 16 सितम्बर 1987को हस्ताक्षर हुए थें वर्ष 1995 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ओजोन परत संरक्षण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ।

– ओजोन परत संरक्षण के लिए तेरहवॉ अन्तर्राष्ट्रीय दिवस दिल्ली में 16 सितम्बर, 2007 को मनाया गया। इस वर्ष के अन्तर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस का विषय '20 वर्षों की प्रगति का आयोजन' था। श्री सत्य सांई ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में स्कूलों के करीब 500 बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा पोस्टर, पेटिंग, ड्रामा प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रत्येक प्रतियोगिता में सबसे उत्तम के लिए 3 पुरस्कार दिए गए। ओजोन प्रकोष्ठ द्वारा प्रकाशित 'मॉण्ट्रियल प्रोटोकालः भारत की सफलता की कहानी' जारी की गई और बच्चों में वितरित की गई।

– एम.एल.एफ. की कार्यकारिणी की 52वीं बैठक 23–27 जुलाई 2007 के दौरान मॉण्ट्रियल कनाडा में मॉण्ट्रियल प्रोटोकोल कार्यान्वित करने के लिए हुई। ओजोन प्रकोष्ठ के निदेशक ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:–

– भारत सरकार और एम.एल.एफ. की कार्यकारिणी के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत निहित लचीला क्लॉज

का उपयोग करना प्राधिकृत किया जिससे कि प्रयोग किए जाने वाली निधि को सभी संबद्ध से क्टोरल उपयोग के लिए कवर किया जा सके बशर्ते कि कार्यकारिणी के मौजूदा दिशानिर्देशों को उपभोग और उत्पादन के लिए पात्र लागत मूल्य में वृद्धि करने के लिए बदला नहीं जाएगा।

– मीटर्ड डोज इनहेलर्स (एम डी आई सैक्टर) में सीएफसी को फेज आउट करने के लिए निवेश परियोजना तेयार करने के लिए 1,00,000 अमरीकी डालर की निधि का अनुमोदन किया।

– सीटीसी नेशनल फेज–आउट प्लान के लिए 4,820,938 अमरीकी डालर के स्तर के कुल वित्त पोषण वाले 2007 के वार्षिक कार्यक्रम का अनुमोदन किया।

– मांट्रियल प्रोटोकाल कार्यान्वित करने के लिए की कार्य कारिणी समिति की 53 वीं बैठक 26–30 नवम्बर, 2007 के दौरान मांट्रियल कनाडा में की गई। संयुक्त सचिव और निदेशक, ओजोन प्रकोष्ठ ने मीटिंग में भाग लिया बैठक में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसले लिए गए :

– एचसीएफसी खपत और उत्पादन के फेज–आउट कार्यकलापों के लिए उचित वृद्धि लागत मुल्य का मूल्यांकन और व्याख्या करने के लिए विकल्प :

– संभवित निधि–पोषण व्यवस्थाओं और 2010 से आगे संस्थागत सुदृढीकरण समर्थन के लिए विकल्पों तथा संस्थागत सुदृढीकरण नवीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर पेपर।

– मांट्रिल प्रोटोकाल – प्रगति के 20 वर्ष विषय पर एक संगोष्ठी तथा ओजोन की परत को कम करने वाले पदार्थों पर मांट्रियल प्रोटोकाल की 19वीं एम. ओ. पी. मांट्रियल कनाडा में 16 से 21 सितम्बर, 2007 के दौरान हुई। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व माननीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री ने किया तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा कनाडा में भारत के उच्चायुक्त ने बैठक में भाग लिया। 19वीं एमओपी ने 29 निर्णय जिसमें भारत के संदर्भ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय भी शामिल हैं, भाग लिया :–

– एचसीएफसी. को शीघ्रता से फेज आउट करना– निर्णय द्वारा एचसीएफसी उत्पादन और खपत की प्रक्रिया तीव्र होगी, आर्टिकल–2 पार्टियों के फेज आउट की वचन बद्धता 2030 से 2020 तक तथा आर्टिकल 5 पार्टियों की 2040 से 2030 कर दी गई है। निर्णय में मॉण्ट्रियल प्रोटोकोल में एम.एल.एफ. के माध्यम से पर्याप्प धन की उपलबधता शामिल है ताकि आर्टिकल 5 की पार्टियों की स्वीकृत वृद्धि लागत को उत्पादन और खपत दोनों के फेज आउट कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया जा सके।

– नेपाल और जोर्डन इसके सहयोजित सदस्यों सहित 19वीं एमओपी ने भारत का चयन वर्ष 2008 के लिए कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में किया।

– ओजोन सचिवालय द्वारा ओडीएस की फेज–आउट परियोजनाओं के कार्यन्वयन में भारत की निष्पादकता को सर्वोत्तम मानते हुए, प्रोटोकॉल में निर्धारित कमी लाने के कार्यक्रम के अनुरूप कार्य करने हेतु नियमों का विकास करने और राजकोषीय प्रोत्साहन देने के लिए भारत के ओजोन प्रकोष्ठ को सर्वोत्तम कार्यान्वयनकर्त्ता के पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार 16 सितम्बर 2007 को श्री अचीम स्टीनर, कार्यकारी निदेशक, यूएनईपी द्वारा प्रदान किया गया। पर्यावरण और वन राज्य मंत्री श्री नमा नारायन मीना मीणा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

– रैफ्रिजरेशन और फोम इन्सुलेशन के लिए हाइड्रोकार्बन प्रोद्योगिकी विकसित करने के लिए ईको फ्रिज हाइडकोर और एनसीसीओपीपी को मॉण्ट्रियल प्रोटोकोल अनुकरणीय परियोजना मान्यता पुरस्कार के लिए चुना गया।

– किर्लोस्कर कोपलैण्ड लि. को रैफ्रिजरेटर्स और अन्य उपकरणें के लिए सीएफसी–12 से एचएफसी–1342 में कम्प्रेंसर डिजायन परिवर्तित करने पर मॉण्ट्रियल प्रोटोकोल अनुकरणीय परियोजना पुरस्कार प्रदान किया गया।

– मैसर्स सत्य दीप्था फार्मोस्युटिकल्स लि. को 'प्रासेस एजेन्ट इन्डस्ट्री' के मॉण्ट्रियल प्रोटोकोल का अनुकरणीय परियोजना पुरस्कार प्रदान किया गया ।

– नैशनल एकेडमी आफ कस्टम्स नारकोटिक्स एण्ड ड्रग्स (एन ए सी ई एन) और ओजोन प्रकोष्ठ ने नीति तथा एनएसीईएन की आईटीआई में सीमा शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

– मांट्रियल प्रोटोकाल के लिए भारत के विनियामक ढॉचे पर हैदराबाद में जून 2007 में एसआईएसआई अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन।

विनियामक उपाय

– पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन ओजोन डिप्लीटिंग सब्टांस (रेगुलेशन एण्उ कंट्रोल) रूल, 2000 को भारत के राजपत्र में 19–7–2000 को अधिसूचित कर दिया गया है। ये नियम विभिन्न ओ.डी. एस. को फेज–आउट करने के लिए अन्तिम तिथि निर्धारित करने के साथ–साथ ओडीएस युक्त पदार्थो का उत्पादन, उपभोग , व्यापार, आयात और निर्यात को विनियमित करते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटांसिज (रेगुलेशन एण्ड कण्ट्रोल) रूल 2000 में वर्ष 2001, 2003, 2004, 2005 और 2007 में संशोधन किया गया, ताकि विभिन्न सैक्टर्स में उद्यमियों द्वारा ओडीएस फेज–आउट को कार्यान्वित किया जा सके।

– यह नियम एमडीआई और अन्य चिकित्सीय प्रयोजनों के अलावा सीएफसी के प्रयोग से विभिन्न उत्पादों का उत्पादन 1.1.2003 के बाद करना निषिद्ध करते हैं। इसी प्रकार केवल अनिवार्य प्रयोगों को छोड़कर 01 जनवरी,2001 के बाद हैलोन्स का प्रयोग करना भी निषिद्ध है। अन्य ओ.डी.एस. जैसे कि कार्बन टैटराक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफार्म और एमडीआई के लिए सीएफसी को 1.1.2010 तक प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मिथाईल ब्रोमाईड का प्रयोग 1.1.2015 तक किया जा सकता है। चूंकि एच.सी.एफ. सी. का प्रयोग सीएफसी के स्थान पर अन्तरिम रूप में किया जाता है, अतः इनका प्रयोग 1.1.2040 तक कियाक जा सकता है।

– नियमों में नवीनतम संशोधन, ओडीएस के फीडस्टाक प्रयोग को परिभाषित करते हैं तथा ओडीएस का प्रयोग करने वाले उद्यमों के लिए पंजीकरण की तारीख आगे बढ़ा दी गई है।

राजकोषीय उपाय

– वित्त वर्ष 2007–2008 के दौरान एमएलएफ समर्थित ओ.डी.एस. फेज–आउट परियोजनाओं अथवा नॉन–ओडीएस प्रोद्यौगिकी की क्षमता का विस्तार करने संबंधी परियोजनाओं के लिए सीमा शुल्क और आबकारी शुल्क की छूट बढ़ा दी गई है।